अनुलग्नक–क

परिभाषायें

(सन्दर्भः शासनादेश सॅख्या .... दिनॉक ....)

- ''इकाई'' का तात्पर्य ई.एस.डी.एम. उद्योग से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली (Proprietorship) कम्पनियों, समितियों, साझेदारी आदि नई इकाइयों से है जिनके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर सावधि ऋण एवं कार्यशील पूॅजी हेतु ऋण की धनराशि वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों

- ''कम्पनी'' से तात्पर्य ई.एस.डी.एम. उद्योग से सम्बन्धित ऐसी कम्पनी से है, जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया हो।

- ''सोसायटी'' से तात्पर्य ई.एस.डी.एम. उद्योग से सम्बन्धित ऐसी सोसायटी से है, जिसका गठन सोसायटीज अधिनियम 1980 के अन्तर्गत किया गया हो।

- ''पार्टनरशिप'' से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है जिसका गठन भारतीय साझेदारी अधिनियम–1932 के अन्तर्गत किया गया हो।

- ''बैंक/वित्तीय संस्थान'' से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित समस्त बैंकों तथा ऐसे सभी वित्तीय संस्थानों से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है।

- ''वर्ष का तात्पर्य दिनॉक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

- ''इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय'' का तात्पर्य राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग की स्थापना के लिए स्थायी मिशन निदेशक अथवा शासन द्वारा नामित अधिकारी के नेतृत्व में एक समर्पित मिशन निदेशालय से है।

- ''स्थिर पूॅजी निवेश'' का तात्पर्य भूमि को छोड़कर, स्थिर पूॅजी पर निवेश से है जिसका मूल्यांकन किया जायेगा और यह अलग–अलग मामलों में भिन्न–भिन्न हो सकती है।

- ''ई.एस.डी.एम. उद्योग'' का तात्पर्य इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एवॅ मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है जिसके अन्तर्गत उदाहरणस्वरूप निम्नवत् मुख्य घटक सम्मिलित हैं, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैः–

इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद

क मोबाइल उपकरण : मोबाइल हैण्डसेट
ख दूरसॅचार उपकरण : मॉडेम, राइटर्स, स्विचेज इत्यादि
ग उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स : टीवी, डीवीडी प्लेयर्स, डिजिटल कैमरे, सेट टॉप बॉक्सेज इत्यादि
घ आटोमोबाइल इलेक्ट्रानिक्स : विद्युत वाहन, पावर विन्डो इत्यादि
च औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स : पावर इलेक्ट्रानिक्स, एल.ई.डी. लाईटिंग, सीएफएल, एनर्जी मीटर इत्यादि

छ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली एवं हार्डवेयर : डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, मॉनीटर्स, मेमोरी कार्ड इत्यादि

ज अन्य इलेक्ट्रानिक्स : एयरोस्पेस, रक्षा उपकरण सहित सामरिक उपकरण

इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स

अ एक्टिव कम्पोनेन्ट्स : ट्रॉजिस्टर्स, डॉयोड्स तथा सी.आर.टी

ब पैसिव कम्पोनेन्ट्स : रेजिस्टर्स तथा कैपेसिटर्स

स इलेक्ट्रोमेकेनिकल कम्पोनेन्ट्स : पीसीबी, पावर डिवाइसेज, रिले इत्यादि

सेमीकन्डक्टर डिजाइन

अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेण्ट

ब वीएलएसआई डिजाइन

स हार्डवेयर/बोर्ड डिजाइन

उक्त उल्लिखित उत्पादों के अतिरिक्त, भारत सरकार की एम–सिप्स गाइडलाईन्स में शामिल उत्पाद भी ई.एस.डी.एम. उद्योग में सम्मिलित होगें।

- **इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (ई.एम.एस.)** का तात्पर्य मूल उपकरण निर्माताओं (ओ.ई.एम.) के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स तथा असेम्बलीज की डिजाइनिंग, टेस्टिंग, निर्माण, वितरण एवं अनुरक्षण कार्य करने वाली इकाई से है।

- ''इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स (ई.एम.सी)'' का तात्पर्य राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति 2012 के अन्तर्गत पारिभाषित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ई.एम.सी. से है जो इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स डिजाइन तथा विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र के संवर्धन को बढ़ावा देंगे। ये क्लसटर्स उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, विद्युतीकरण, पावर इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवॅ इसी प्रकार के अन्य विभिन्न उपकरणों उनकी पूरी श्रॅखला के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स, पार्ट्स, सब–असेम्बलीज, सामग्री के विनिर्माण हेतु उद्यमों की स्थापना को सुगमता हेतु हैं।

- ''फैब इकाई'' वह सेमीकण्डक्टर संरचना सॅयंत्र है, जहॉ इण्टीग्रेटेड सर्किट्स (ICs) चिप जैसी सामग्री निर्मित होती है।

- ''राज्य अधिकरण'' से तात्पर्य विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य की अन्य संस्था से है।

- ''व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि'' का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूॅजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

- ''प्रथम सेल्स इन्वायॅस'' से तात्पर्य इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित इकाई द्वारा निर्मित उत्पाद के प्रथम विक्रय के इन्वायॅस से है तथा सेल इन्वायॅस चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित की गई हो।

- नये उद्यम के सन्दर्भ में ''व्यवसायिक उत्पादन/परिचालन आरम्भ किया जाना'' से तात्पर्य उस तिथि से है जब उसके द्वारा अधोलिखित प्रपत्र निर्गत किये गये हों :–
  (i.) योजना के अन्तर्गत किये गये निवेश के द्वारा निर्मित वस्तु का प्रथम सेल बिल निर्गत किया गया हो, अथवा

(ii.) योजना के अन्तर्गत किये गये निवेश के द्वारा व्यवसायिक लेन–देन का प्रथम बिल निर्गत किया गया हो

(iii.) योजना के अन्तर्गत किये गये निवेश के द्वारा सृजित सुविधा से प्रदान की गई किसी सेवा हेतु कोई शुल्क/धनराशि प्रथम बार प्राप्त की गयी हो

- नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017 के प्रस्तर 3.5 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

अनुलग्नक–1

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति प्रोत्साहन के लिए आवरण–पत्र (कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,

मिशन निदेशक
इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2014 के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मॉग

महोदय,

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2014 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोपरान्त हम, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा अपना पंजीयन–प्रपत्र (अनुलग्नक–2), वचन–पत्र एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख इत्यादि सहित, संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2014 में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की मॉग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे अनुलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ–साथ आवेदन–पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इसके पूर्व दी गई सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सहीं हैं। हम वचनबद्ध हैं कि राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मांग न तो पहले की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपके विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपने निगम/कम्पनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

स्थानः स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर
तिथिः एवं मुहर

अनुलग्नक–2

पंजीयन–आवेदन प्रपत्र

(क)	इकाई का विवरण		
a.)	आवेदक कम्पनी का नाम		
b.)	कम्पनी का पंजीकृत पता		
c.)	कम्पनी के फैक्ट्री/इकाई का पता		
d.)	प्रबन्ध निदेशक/ प्रबन्धन साझीदार/ स्वामी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम		
e.)	दूरभाष नं0		
f.)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नॅ0		
g.)	फैक्स नॅ0		
h.)	ई–मेल		
i.)	वेबसाइट		
j.)	पंजीयन प्रमाण–पत्र संख्या		
k.)	टैक्सपेयर आईडेन्डीफिकेशन नॅ (TIN)		
l.)	परमानेन्ट एकाउण्ट सं0 (PAN)		
m.)	इकाई के विनिर्माण/व्यवसाय की प्रकृति, उत्पाद/सेवाओं का विवरण, स्थापित निर्माण क्षमता/ कुल जनशक्ति		
n.)	व्यवसाय/परिचालन आरम्भ की तिथि		
o.)	आवेदक का वार्षिक व्यवसाय (Turn-over)		
p.)	विगत तीन वर्षों मे, कराधान के उपरान्त लाभ का विवरण		
q.)	आवेदक के मेमोरेण्डम का विवरण तथा मेमोरेण्डम में यथानिर्दिष्ट कार्यकलाप		
r.)	कुल प्रस्तावित निवेश (राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार)	रू 200 करोड़ तक	
		रू 200 करोड से अधिक	
		रू 300 करोड से अधिक	
s.)	भूमि का विवरण (क) ई.एम.सी. का नाम तथा स्थल (ख) इकाई का पता (ग) साइट रेडीनेस (घ) भूमि का क्षेत्रफल (च) भूमि कय की गई/पट्टे की है (छ) भूमि का मूल्य/प्रीमियम		
t.)	सृजित/सम्भावित रोजगार (क) प्रबन्धकीय (ख) पर्यवेक्षक (ग) कुशल (घ) अकुशल		
(ख)	वित्तपोषण का विवरण		
	(क) प्रोमोटर्स/साझेदारों/अंशधारको के अंशक (Equity) (ख) सावधि ऋण (Term loan) (ग) किराया–कय (Hire-Purchase) (घ) लीजिंग (च) सार्वजनिक निर्गम (Public Issue) (छ) अधिमान निर्गम (Preference Issue) (ज) अन्य		
	योग		
(ग)	<u>स्थिर पूँजी निवेश</u>		
	(1) भूमि तथा स्थल विकास		
	(2) भवन तथा सिविल कार्य		
	(3) प्लाण्ट एवं मशीनरी		

	(क) स्वदेशी (ख) आयातित	
	(4) स्थिर परिसम्पत्तियॉ	
	(5) परिचालन–पूर्व व्यय	
	(6) प्रौद्योगिकी	
	(7) अनुसंधान एवं विकास	
	(8) अन्य	
	योग	
(घ)	संलग्न दस्तावेज	
a.)	विगत 3 वर्षो के सम्परीक्षित लेखे, अनुसूचियों सहित (यदि उपलब्ध हों)	हॉ ☐ नहीं ☐
b.)	टैक्सपेयर आईडेन्टीफिकेशन नं0 (TIN)/ वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र	हॉ ☐ नहीं ☐
c.)	PAN CARD की प्रति	हॉ ☐ नहीं ☐
d.)	वित्तीय सहायता हेतु बैंक/वित्तीय संस्था को प्रस्तुत व उनके द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की प्रति	हॉ ☐ नहीं ☐
e.)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण–पत्र सहित, प्रथम विक्रय बीजक (First Sales Invoice) की प्रति	हॉ ☐ नहीं ☐
f.)	वर्ष में दाखिल, वाणिज्य कर विवरणी की प्रति	हॉ ☐ नहीं ☐
g.)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण–पत्र सहित, आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2014 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन/ छूट का, अद्यतन विवरण	
h.)	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त/ इकाई द्वारा ली गई MSIPS अथवा इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स से सम्बन्धित किसी अन्य छूट का विवरण	
i.)	आवेदक के बैंक खाते का विवरण जिसमें अनुमोदन की स्थिति में उपादान की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी (खाता नं0 तथा आई. एफ.सी. कोड)	

(g.) के लिए:

प्रोत्साहन/ छूट की प्रकृति	तिथि	धनराशि

स्थानः स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर

तिथिः एवं मुहर

अनुलग्नक–3
(तीन प्रतियों में)

स्टेट जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति आवेदन प्रपत्र

दावा अवधि (छमाही): दिनॉक .... से ....

(क)	पात्रता प्रमाण–पत्र संख्या एवं तिथि (कृपया प्रति संलग्न करें)					
(ख)	इकाई का विवरण					
	1	कम्पनी का नाम व पता				
	2	कुल प्रस्तावित निवेश (भूमि को छोड़कर)				
	3	अद्यतन किया गया निवेश (कृपया चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें)				
	4	अद्यतन प्रतिपूर्ति की गई स्टेट जी.एस.टी. की धनराशि (कृपया चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें)				
	5	समस्त मदों में अद्यतन प्राप्त उपादानों की धनराशि (कृपया चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें)				
	6	विगत वित्तीय वर्ष तथा वर्तमान छमाही में प्राप्त उपादानों की धनराशि				
(ग)	उ0प्र0 स्टेट जी.एस.टी. के अन्तर्गत भुगतान किये गये करों का विवरण					
	1	सम्बन्धित छमाही तथा वर्ष में मॉगी गई प्रतिपूर्ति				
	2	आकलन अधिकारी (Assessing Officer)				
	3	स्टेट जी.एस.टी.आच्छादित वस्तुएं अ. कय की विशुद्ध राशि ब. विकय की विशुद्ध राशि				
	4	दिनांक .../.../..... से ..../...../..... की अवधि में जमा की गई राशि अ. स्टेट जी.एस.टी.के रूप में स्वीकार (admitted)				
		योग				
	5	दावा की गई धनराशि अ. प्रतिपूर्ति की जाने वाली विशुद्ध स्टेट जी.एस.टी. धनराशि				
		योग				
(घ)	फैक्ट्री/इकाई द्वारा भुगतान किये गये स्टेट जी.एस.टी. के समर्थन में अभिलेख					
	1	भुगतान किये गये स्टेट जी.एस.टी. हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र	हॉ		नहीं	
	2	स्टेट जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति समर्थक अभिलेख	हॉ		नहीं	
	3	प्रश्नगत अवधि में स्टेट जी.एस.टी.भुगतान के प्रमाण स्वरूप अभिलेख	हॉ		नहीं	
	4	प्रश्नगत अवधि में जी.एस.टी. भुगतान के प्रमाण स्वरूप अभिलेख	हॉ		नहीं	

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... एतदद्वारा उद्घोषणा एवॅ सत्यापित करता हूॅ कि इस प्रपत्र में प्रदर्शित समस्त सूचनायें सत्य एवॅ सम्पूर्ण हैं तथा कोई भी तथ्य जानबूझकर न तो छुपाया गया है और न ही असत्य कथन किया गया है।

स्थान
तिथि

नाम
पदनाम

केवल वाणिज्य कर विभाग के उपयोगार्थ

टिप्पणी	

प्रतिपूर्ति किये जाने योग्य धनराशि

रु ....(अंकों में)
रुपये ....(शब्दों में)

स्थान
तिथि

नाम
पदनाम
(नोडल अधिकारी)